न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 193/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
गोमाराम पुत्र सुराराम, निवासी कादानाडी, तहसील सिणधरी, बाड़मेर		1. मूलीदेवी पुत्र पनाराम 2. भेराराम पुत्र रामाराम 3. नैनाराम पुत्र दानाराम 4. नारणाराम पुत्र दानाराम 5- पुरोदेवी पत्नी दानाराम निवासी कादानाडी, तहसील सिणधरी बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 20.10.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत राजस्व ग्राम व पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 446/235 रकबा 16.1800 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत राजस्व ग्राम व पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 446/235 रकबा 16.1800 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:21 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा कादानाडी, पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 446/235 रकबा 16.1800 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 446/235 रकबा 16.1800 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा कादानाडी व पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 446/235 रकबा 16.1800 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5.लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि मौजा कादानाडी व पटवार हल्का कादानाडी, तहसील सिणधरी में खसरा संख्या 446/235 रकबा 16.1800 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:21 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20-10-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी